

फर्द अहकाम

34/10

पुनः

बनाम मंगवान लक्ष्मण

संख्या / वर्ष : _____ / 20 _____

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2/5/22	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वादी एवं वकील वादी हाजिर नहीं। बार-बार आज्ञाकारी गई, कोई उपस्थित नहीं था। इससे यह पुष्ट होता है कि वादी एवं वकील वादी काद फा को मजिस्ट्रेट के कर्तव्य निरूपण नहीं हैं। लिहाजा वादी का वाद सहज प्रैवी गदक हाजरी अं सारोण किया गया है। पत्रावली फैसल अंगर दोकन दर्त मकर से कम बेगे पर शकिल दर्फर है।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 2/5/2022 को सुले न्यायालय एवं लैर वजलास सुनाया गया।</p>	


 उप खण्ड अधिकारी
 बरसी (जिला जयपुर)